<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>10-11-2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धनंजय प्रसाद चतुर्वेदी और श्रीमती शिप्रा चतुर्वेदी की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ये संपत्तियां अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) संख्या 13/2025 दिनांक 07.11.2025 के तहत कुर्क की गई हैं, जिनकी कुल कीमत **1.31 करोड़ रुपये** है।

ईडी ने धनंजय प्रसाद चतुर्वेदी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सह पठित 13(1)(बी) के तहत सीबीआई, एसीबी, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई ने माननीय विशेष न्यायालय, सीबीआई मामले, भोपाल के समक्ष पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) के साथ पठित 13(1)(बी) और 13(1)(ई) के साथ पठित धारा 109 आईपीसी, 1860 के तहत दिनांक 18.06.2024 को आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट संख्या 07/2024 दायर की। यह मामला तत्कालीन गैरिसन इंजीनियर (एमईएस) धनंजय प्रसाद चतुर्वेदी और उनकी पत्नी श्रीमती शिप्रा चतुर्वेदी द्वारा 1.38 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति रखने से संबंधित है।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि धनंजय प्रसाद चतुर्वेदी और उनकी पत्नी के पास 1.38 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति थी, जो जांच अवधि 01.04.2013 से 08.06.2022 के दौरान उनकी ज्ञात आय के स्रोतों का 119.08% थी। जांच में कई बैंक खातों में 46.12 लाख रुपये की संरचित नकद जमा राशि, उसके बाद अचल संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों में धन का स्तरीकरण और निवेश का पता चला।

ये संपत्तियाँ पद के दुरुपयोग, अस्पष्टीकृत नकद जमा, धन के स्तरीकरण, और झूठी कृषि आय, आभूषणों की बिक्री और ट्यूशन आय जैसे काल्पनिक स्रोतों से अर्जित आपराधिक आय से अर्जित पाई गईं। जाँच में यह भी पता चला कि इन संपत्तियों को वैध संपत्ति के रूप में पेश करने के प्रयास किए गए थे।

इस मामले में कुल कुर्की 1.31 करोड़ रुपये की है।